

4

अधिकारों का प्रत्यायोजन-- 4

भाग - 2 संशोधित प्रत्यायोजन / प्रशासकीय मामले

क्रमांक	विषय वस्तु	प्राधिकारी	वर्तमान अधिकार	संशोधित अधिकार	
1.	स्टेशनरी / डाक सामग्री, कोरियर तथा तार	निदेशक वित्त	हर मामले में रु. 50,000 तक	हर मामले में रु. 1,00,000 तक	
		महाप्रबंधक /क्षेत्रीय कार्यालय	हर मामले में रु. 30,000 तक	हर मामले में रु. 50,000 तक	
		उप महाप्रबंधक/ क्षेत्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्ष	हर मामले में रु. 20,000 तक	हर मामले में रु. 50,000 तक	
		उपमहाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय	---	हर मामले में रु. 20,000 तक	
2.	कार्यालय में जलने वाली बिजली, पानी, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, खर्च, प्रासंगिक देनदारियों स्टाफ टेलीफोन खर्च आदि का नियमानुसार भुगतान. व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार नये कनेक्शन लेना.	उप महाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष	उपलब्ध नहीं	अपने कार्यालयों के लिये पूर्ण अधिकार	

3.	फर्नीचर, बिजली पानी के लिये लगा हुआ सामान, एयर कूलर / हीटर, / आई टी का हार्ड तथा सॉफ्टवेयर, / कार्यालय के उपकरण तथा उनसे संबंधित सामान.	निदेशक वित्त	हर मामले में रु. 20,000 तक	हर मामले में रु. 2,00,000 तक	
		क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष	उपलब्ध नहीं	अपने कार्यालयों के लिये हर मामले में रु. 1,00,000 तक	
4.	फर्नीचर, बिजली पानी के लिये लगा हुआ सामान, एयर कूलर / हीटर, / आई टी का हार्ड तथा सॉफ्टवेयर, की मरम्मत तथा उनका किराया	निदेशक वित्त	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 1,00,000 तक	
		क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष / उप महाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 50,000 तक	
5.	आकस्मिक तथा विविध खर्च जो किन्हीं विशिष्ट मदों के अंतर्गत न आये हों	निदेशक वित्त	हर मामले में रु. 20,000 तक	हर मामले में रु. 1,00,000 तक	
		दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख (महाप्रबंधक स्तर)	हर मामले में रु. 10,000 तक	हर मामले में रु. 75,000 तक	
		क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख (उप महाप्रबंधक स्तर)	हर मामले में रु. 5,000 तक	हर मामले में रु. 20,000 तक	

6.	निगम के स्वामित्व वाली अथवा किराये पर ली गई इमारतों / प्रतिष्ठानों की देखभाल अथवा रख रखाव	निदेशक वित्त	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 1,00,000 तक	
		दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 1,00,000 तक	
		उप महाप्रबंधक / क्षेत्रीय कार्यालय. चेन्नई तथा कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख / उप महाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 50,000 तक	
7.	कार्यालय के कार्यों के लिये कार अथवा टैक्सी किराये पर लेना	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख / उप महाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
8.	कार्यालयों की गाड़ियों की नियमित देखरेख तथा मरम्मत	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख / उप महाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 50,000 तक	

9.	कार्यालयों की गाड़ियों तथा अन्य परिसंपत्तियों का रजिस्ट्रेशन / बीमा / टैक्स	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख / उपमहाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
10.	नियमित टैक्सों की अदायगी	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख / उप महाप्रबंधक (वेतन तथा लेखा) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
11.	निगमित खातिरदारी का खर्च	निदेशक वित्त	हर मामले में रु. 5,000 तक पूर्ण अधिकार किंतु पूरे साल में रु. 50,000 से अधिक नहीं.	हर मामले में रु. 10,000 तक पूर्ण अधिकार किंतु पूरे साल में रु. 1,00,000 से अधिक नहीं.	वार्षिक सीमा में बढोत्तरी के हर वर्ष प्रबंध निदेशक की अनुमति आवश्यक
		क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख (दिल्ली)	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 10,000 तक पूर्ण अधिकार किंतु पूरे साल में रु. 1,00,000 से अधिक नहीं.	
		क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख	उपलब्ध नहीं	हर मामले में रु. 5,000 तक पूर्ण अधिकार किंतु पूरे साल	

		(दिल्ली के अतिरिक्त)		में रु. 50,000 से अधिक नहीं.	
12.	कानूनी खर्चे--केस दायर करने का खर्च, संवैधानिक नोटिसों का प्रकाशन, कोर्ट फीस, स्टैप पेपर वगैरह खरीदना, अनुमोदित शर्तों के अनुकूल अधिवक्ता की फीस	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
		कंपनी का प्रबंधक (कानूनी)	उपलब्ध नहीं	वित्त निदेशक की अनुमति से पूर्ण अधिकार	
13.	आवासिक / गैर आवासिक इमारतों के लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर	महाप्रबंधक / क्षेत्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं	प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमति दिये जाने पर पूर्ण अधिकार	
		उप महाप्रबंधक / क्षेत्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं		
		उप महाप्रबंधक / मुख्य कार्यालय / मुंबई	उपलब्ध नहीं		
14	कमिटी की संस्तुति पर स्क्रेप और रद्दी माल की निकासी	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख / उपमहाप्रबंधक (का एवं प्र) प्रधान कार्यालय में	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	

15.	सीमित / खुली निविदाएं आमंत्रित तथा स्वीकृत करना	प्रबंध निदेशक	हर मामले में रु. दो लाख तक, कार्यकारी निदेशक (वित्त) की सलाह से	नियत सीमा के मुताबिक पूर्ण अधिकार निदेशक (वित्त) की सलाह से	खुली निविदा रु. 5 करोड़, सीमित निविदा 2 करोड़, निविदा संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोसेस की जाएं
16.	निविदा आमंत्रित किये बगैर कार्य आबंटित करना	प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार हर मामले में रु. 50,000 तक	पूर्ण अधिकार हर मामले में रु. 10,00,000 तक	निविदा संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोसेस की जाएं
17.	सलाहकारों की नियुक्ति	प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार हर मामले में रु. 50 लाख तक	यदि सलाहकार की नियुक्ति मासिक प्रतिधारण (रिटैनरशिप) के आधार पर की जानी है तो सीमा वार्षिक भुगतान के आधार पर नियत होगी.